

कार्यालय संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी)
दायों तट कलियासोत बांध, कोलार रोड
पो.बा.नं. 538, रविशंकर नगर पो.आ, भोपाल-462016
दूरभाष: (0755) 4082525,4082520

निविदा क्रमांक 01/वाल्मी/के.भ./2019-20/2038

भोपाल दिनांक /1/2020

निविदा आमंत्रण सूचना

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु निम्नानुसार सामग्री प्रदाय एवं सेवा प्रदाय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं-

स.क्र.	विवरण	अनुमानित राशि (रुपयों में)	प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपयों में)
1	सघन वनीकरण हेतु आवश्यक सामग्रियों का प्रदाय	50.00 लाख	50000/-	500/-
2	टेन्ट हाउस की सामग्रियों का प्रदाय	50.00 लाख	50000/-	500/-
3	छात्रावास संबंधी कपड़ों की धुलाई एवं प्रेस	5.00 लाख	15000/-	300/-

- निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 18.02.2020 तक उपलब्ध कराया जावेगा। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि 19.02.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक रहेगी एवं दिनांक 19.02.2020 अपरान्ह 04.00 बजे निविदायें खोली जावेंगी। विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट www.mpwalmi.org पर देखा जा सकता है।

संचालक

निविदा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल के पक्ष में देय हो, प्रतिभूति/धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकार की धरोहर/प्रतिभूति राशि अनुबंध पूर्ण होने पर अमानत राशि के रूप में परिवर्तित हो जावेगी जो अनुबंध समाप्त होने पर विवाद रहित स्थिति में वापसी योग्य होगी। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति/धरोहर राशि तत्समय ही वापस की जायेगी।
2. निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जावेगी। निविदा खोले जाते समय यदि कोई निविदाकार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जावेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा। संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा।
5. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी जिसे परस्पर सहमति से एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस मध्य यदि निविदाकार अपना कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्पन्न नहीं करता है अथवा बिना कोई विधिसम्मत सूचना दिये कार्य बन्द कर देता है तो निविदाकार द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति/धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी साथ ही इस स्थिति में अनुबंधानुसार निविदाकार की कोई भी देय राशि जो संस्थान की ओर से शेष रहती है, वह राशि भी भुगतान योग्य न होकर राजसात किये जाने योग्य होगी।
6. अनुबंध के संबंध में निविदाकार एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
7. अनुबंध अवधि समय-समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय आयकर एवं शासन द्वारा लागू अन्य करों की कटौती की जावेगी।
8. निविदा के साथ आयकर जमा विवरिणी संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा विचारयोग्य नहीं होगी।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
10. निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत किये जावेंगे जिन पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. निविदाकार को कार्यालय द्वारा बताये गये निर्दिष्ट स्थान तक सामग्री पहुँचाना होगा। इसके लिये पृथक से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
12. सामग्री कार्यालय तक पहुँचाने/विलम्ब करने अथवा किसी भी प्रकार की क्षति होने उसकी वसूली निविदाकार से की जावेगी।
13. अनुबंध अवधि में किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संस्थान का होगा।
14. भोपाल टेन्ट हाउस एसोसिएशन द्वारा प्रतिदिन हेतु निर्धारित रेट में निविदाकार द्वारा दी जाने वाले छूट का उल्लेख प्रतिशत में किया जावे।
15. सामग्री का निरीक्षण/परीक्षण सक्षम अधिकारी/कर्मचारी किये जाने के उपरांत ही सामग्री स्वीकार की जावेगी एवं सामग्री दोषपूर्ण पाये जाने पर उसे वापस ले जाने एवं उसके स्थान पर आवश्यक गुणवत्तायुक्त की सामग्री लाने का दायित्व निविदाकार का होगा इसके लिये किसी प्रकार का प्रभार अथवा भाड़ा आदि देय नहीं होगा।

संचालक
वाल्मी, भोपाल

निविदा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 15000/- (रुपये पंद्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल के पक्ष में देय हो, प्रतिभूति/धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकार की धरोहर/प्रतिभूति राशि अनुबंध पूर्ण होने पर अमानत राशि के रूप में परिवर्तित हो जावेगी जो अनुबंध समाप्त होने पर विवाद रहित स्थिति में वापसी योग्य होगी। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति/धरोहर राशि तत्समय ही वापस की जायेगी।
2. निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जावेगी। निविदा खोले जाते समय यदि कोई निविदाकार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जावेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा। संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा।
5. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी जिसे परस्पर सहमति से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इस मध्य यदि निविदाकार अपना कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्पन्न नहीं करता है अथवा बिना कोई विधिसम्मत सूचना दिये कार्य बन्द कर देता है तो निविदाकार द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति/धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी साथ ही इस स्थिति में अनुबंधानुसार निविदाकार की कोई भी देय राशि जो संस्थान की ओर से शेष रहती है, वह राशि भी भुगतान योग्य न होकर राजसात किये जाने योग्य होगी।
6. अनुबंध के संबंध में निविदाकार एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
7. अनुबंध अवधि समय-समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय आयकर एवं शासन द्वारा लागू अन्य करों की कटौती की जावेगी।
8. निविदा के साथ आयकर जमा विवरिणी संलग्न की जावे।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
10. निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत किये जावेंगे जिन पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. निविदाकार को प्रतिदिन अथवा सूचना प्राप्त होने पर छात्रावास से कपड़े ले जाना एवं धुलाई व प्रेस पश्चात दो दिवस में छात्रावास में पहुँचाना होगा। जिसके लिये पृथक से भाड़ा देय नहीं होगा।
12. कपड़ों के फटने, बेरंग होने अथवा किसी भी प्रकार की क्षति होने पर कपड़े के मूल्य की वसूली निविदाकार से की जावेगी।
13. संस्थान द्वारा निविदाकार को मासिक आधार पर भुगतान किया जावेगा।
14. अनुबंध अवधि में किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संस्थान का होगा।

संचालक
वाल्मी, भोपाल

निविदा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संचालक, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल के पक्ष में देय हो, प्रतिभूति/धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकार की धरोहर/प्रतिभूति राशि अनुबंध पूर्ण होने पर अमानत राशि के रूप में परिवर्तित हो जावेगी जो अनुबंध समाप्त होने पर विवाद रहित स्थिति में वापसी योग्य होगी। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति/धरोहर राशि तत्समय ही वापस की जायेगी।
2. निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जावेगी। निविदा खोले जाते समय यदि कोई निविदाकार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जावेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा। संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा।
5. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी जिसे परस्पर सहमति से एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस मध्य यदि निविदाकार अपना कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार सम्पन्न नहीं करता है अथवा बिना कोई विधिसम्मत सूचना दिये कार्य बन्द कर देता है तो निविदाकार द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति/धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी साथ ही इस स्थिति में अनुबंधानुसार निविदाकार की कोई भी देय राशि जो संस्थान की ओर से शेष रहती है, वह राशि भी भुगतान योग्य न होकर राजसात किये जाने योग्य होगी।
6. अनुबंध के संबंध में निविदाकार एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
7. अनुबंध अवधि समय-समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय आयकर एवं शासन द्वारा लागू अन्य करों की कटौती की जावेगी।
8. निविदा के साथ आयकर जमा विवरिणी अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा विचारयोग्य नहीं होगी।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
10. निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत किये जावेंगे जिन पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. निविदाकार को कार्यालय द्वारा बताये गये निर्दिष्ट स्थान तक सामग्री पहुँचाना होगा। इसके लिये पृथक से कोई भाड़ा देय नहीं होगा। भोपाल जिले से बाहर अन्यत्र सामग्री पहुँचाने पर निविदाकार द्वारा प्रति किलोमीटर द्वारा दी गयी दर पर भाड़ा देय होगा।
12. सामग्री कार्यालय तक पहुँचाने/विलम्ब करने अथवा किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी वसूली निविदाकार से की जावेगी।
13. अनुबंध अवधि में किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संस्थान का होगा।
14. सामग्री का निरीक्षण/परीक्षण सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये जाने के उपरांत ही सामग्री स्वीकार की जावेगी एवं सामग्री दोषपूर्ण अथवा गुणवत्ता विहीन पाये जाने पर उसे वापस ले जाने एवं उसके स्थान पर गुणवत्तायुक्त की सामग्री जाने का दायित्व निविदाकार का होगा इसके लिये किसी भी प्रकार का प्रभार अथवा भाड़ा देय नहीं होगा।

संचालक
वाल्मी, भोपाल